

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19239 वर्ष 2025

श्रीमन नारायण दीक्षित

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कृष्णा कुमार, सौम्येश दत्त त्रिपाठी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कृष्णा कुमार चंद

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.डी. त्रिपाठी, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह और प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से श्री के.के. चंद का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री गौरव कुमार चंद (ए/जी 0032/12) को सुना गया।
- प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ताओं ने यह बयान दिया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हैं और वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं तथा याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षों की सहमति से याचिका पर प्रारंभिक चरण से निर्णय लिया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति 24.07.1982 को शिक्षा अधीक्षक नगर पालिका कालपी, जालौन के कार्यालय में कनिष्ठ क्लर्क के पद पर हुई थी और उन्हें 28.10.2003 को वरिष्ठ क्लर्क और 16.01.2014 को प्रधान क्लर्क के पद पर पदोन्नत किया गया था और वे 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हुए। चूंकि याचिकाकर्ता को अवकाश नकदीकरण नहीं दिया जा रहा था, इसलिए उन्होंने रिट-ए संख्या 12875 वर्ष 2025 दायर की, जिसका निपटारा 01.09.2025 को हुआ और एक सुधार आवेदन पर 17.09.2025 को निर्णय लिया गया। अब, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन, ओराई द्वारा 04.12.2025 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जिसमें दावे को खारिज कर दिया गया है।



4. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 14.11.2025 को पारित आदेश को बिल्कुल भी बरकरार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारी को अवकाश नकदीकरण के भुगतान से संबंधित मुद्दा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पहले ही रिट-ए संख्या 16921 वर्ष 2008 (धर्मीधर दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव और अन्य के माध्यम से), जिसमें दिनांक 25.08.2014 को निर्णय लिया गया और रिट-ए संख्या 29685 वर्ष 2015 (फूल चंद्र मिश्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य), जिसमें दिनांक 21.05.2015 को निर्णय लिया गया, में तय किया जा चुका है। यह तर्क दिया गया कि फूल चंद्र मिश्रा (उपरोक्त) मामले में पारित आदेश के विरुद्ध विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 497 वर्ष 2016 (उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य बनाम फूल चंद्र मिश्रा और अन्य) दायर की गई थी, जिसे 09.08.2016 को खारिज कर दिया गया था और एस.एल.पी. (सी) संख्या 36259 वर्ष 2016 को भी 15.03.2024 को अस्वीकार कर दिया गया था। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के इस दावे को खारिज करने में प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए वे कारण, जिनमें यह कहा गया है कि इस संबंध में कोई परिपत्र या नियम उपलब्ध नहीं हैं, स्वीकार्य नहीं हैं।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री गिरिजेश कुमार त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के निर्णय और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए निर्णय के दृष्टिगत, इस मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

7. मैंने न्यायालय में दिए गए सभी तर्कों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. दिनांक 04.12.2025 का आक्षेपित आदेश इस प्रकार है:

"माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका सं०/12875/2025 श्रीमन नारायण दीक्षित बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 एवं दिनांक 17.09.2025 का प्रभावी अंश निम्नवत् हैं-

उपरोक्त के मद्देनजर, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 04.06.2025 को दिए गए अभ्यावेदन में उठाए गए दावे पर विचार करे और यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से दो महीने की अवधि के भीतर, उसका निर्णय करे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पारित किया जाने वाला आदेश तर्कसंगत और स्पष्ट होना चाहिए।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका सं०/12875/2025 श्रीमन नारायण दीक्षित बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 एवं दिनांक 17.09.2025 प्रत्यावेदन सहित मूल सत्य प्रतिलिपि दिनांक 10.10.2025 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई। जिसमें कथन किया गया है कि याची की नियुक्ति कार्यालय के आदेश संख्या/शि०सं०/1904/82-83 दिनांक 24.07.1982 को नगर शिक्षा अधीक्षक कालपी में लिपिक के पद पर हुई थी। तत्पश्चात कार्यालय के पत्रांक / बे०शि०प०/पदौ०/455/2003-04 दिनांक 26.10.2003 के द्वारा याची की पदोन्नति वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यालय उप बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन स्थान उरई में की गई थी। तदोपरान्त कार्यालय सचिव उ०प्र० बे०शि०५०, इलाहाबाद के आदेश संख्या-ये०शि०प०/14289-309/2013-14 दिनांक 16.01.2014 द्वारा याची की पदोन्नति प्रधान लिपिक कार्यालय उप बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन स्थान उरई में रिक्त पद के प्रति की गई थी। अभिलेखानुसार याची की जन्मतिथि 01.02.1959 के आधार पर अधिवर्षता आयु के पूर्ण होने पर दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हुआ। उक्तानुसार अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, कमिशनरी कम्पाउण्ड झांसी के पत्रांक / 8074/अ०नि०को०/एम०आई०-005/194/012322 सी आर 11996 दिनांक 30.03.2019 के द्वारा पेंशन/पेंशन का राशिकरण एवं उपादान (ग्रेच्युटी), सामूहिक बीमा धनराशि का भुगतान प्राप्त हुआ। लेकिन अर्जित अवकाश का नकदीकरण का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में निवेदन करने पर बताया गया कि परिषदीय कर्मचारियों का यह सुविधा अनुमन्य नहीं है, का कथन किया गया।

सन्दर्भित कम में कार्यालय के पत्रांक कोर्ट फेस/12266/2025-26 दिनांक 29.10.2025 के द्वारा दिनांक 10.11.2025 को सुनवाई निर्धारित की गयी। जिसके क्रम में याची दिनांक 10.11.2025 को सुनवाई में उपस्थित हुए। सुनवाई के उपरान्त प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक-13195/2025-26 दिनांक 19.11.2025 के द्वारा वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, जालौन स्थान उरई से प्रधान सहायक (परिषदीय संवर्ग) के पद से दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत्त हुए याची को अर्जित अवकाश नकदीकरण का भुगतान देय है अथवा नहीं के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या चाही गयी। तत्कन में वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, जालौन स्थान उरई ने अपने पत्रांक-1732/2025-26 दिनांक 26.11.2025 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी। जिसमें कथन किया गया कि प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षण में पाया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी बेसिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत था। शिक्षा निदेशक (३०) उ०प्र० निशातगंज लखनऊ के पत्रांक - दे०शि०प०/प्रबन्ध-1 / 14838/91-92 दिनांक 05.09.1991 के क्रम में उपसचिव उ०प्र० शासन के अर्ध शासकीय पत्र संख्या- 3049/15-5-91-370/82 शिक्षा (5) अनुभाग दिनांक मई 1992 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषदीय कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के पश्चात बचे अवकाश का नकदीकरण की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध से अवगत कराया गया था कि उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय कर्मचारियों को अवकाश का नकदीकरण की सुविधा दिया जाना सम्भव नहीं है।

निष्कर्ष

याची की नियुक्ति कार्यालय के आदेश संख्या/शि०सं०/1904/82-83 दिनांक 24.07.1982 को नगर शिक्षा अधीक्षक कालपी में लिपिक के पद पर हुई थी। तत्पश्चात कार्यालय के पत्रांक / ये०शि०प०/पदी०/455/2003-04 दिनांक 28.10.2003 के द्वारा याची की पदोन्नति वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यालय उप बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन स्थान उरई में की गई थी। तदोपरान्त कार्यालय सचिव उ०प्र० बे०शि०प०, इलाहाबाद के आदेश संख्या-बे०शि०प०/14289-309/2013-14 दिनांक 16.01.2014 द्वारा याची की पदोन्नति प्रधान लिपिक कार्यालय उप बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन स्थान उरई में रिक्त पद के प्रति की गई थी। शिक्षा निदेशक (बे०) उ०प्र० निशातगंज लखनऊ के पत्रांक- बे०शि०प०/प्रबन्ध-1/14838/91- 92 दिनांक 05.09.1991 के क्रम में उपसचिव उ०प्र० शासन के अर्ध शासकीय पत्र संख्या-3049/15-5- 91-370/82 शिक्षा (5) अनुभाग दिनांक मई 1992 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषदीय कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के पश्चात बचे अवकाश का नकदीकरण की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था कि उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय कर्मचारियों को अवकाश का नकदीकरण की सुविधा दिया जाना सम्भव नहीं है।

निर्णय

याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.10.2025 तथ्यात्मक एवं बलहीन होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के अनुपालन में निरस्त कर निस्तारित किया जाता है।"

9. धर्मोदर दुबे (उपरोक्त) मामले में निम्नलिखित अवलोकन किया गया:

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. सी. पांडे और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री पी. डी. त्रिपाठी की बात सुनी।"

इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की मांग की है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"ए. प्रतिवादी प्राधिकारी को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित विशिष्ट अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान करने का आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

बी. प्रतिवादी संख्या 1 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित विशिष्ट अवधि के भीतर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अवकाश नकदीकरण के भुगतान से संबंधित प्रतिवादी संख्या 4 के दिनांक 24.02.2006 के संकल्प को अनुमोदित करने का आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाय।

सी. न्याय के हित में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित और उपयुक्त समझे जाने वाले रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जाएं।

डी. याचिकाकर्ता को याचिका की लागत प्रदान की जाए।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में 13.07.1965 को शहर क्षेत्र मिर्जापुर में नियुक्त किया गया था और उसके बाद 30.07.1981 को उनका तबादला यू.पी. बेसिक शिक्षा परिषद में कर दिया गया था और अंततः 41 वर्ष 11 महीने 17 दिन की सेवा पूरी करने के बाद, उन्होंने 30.06.2007 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ मिल रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, कर्मचारी संघ ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के समक्ष शिकायत उठाई थी और बेसिक शिक्षा निदेशक/उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को 24.02.2006 को कुछ प्रस्ताव दिए गए थे और इसे राज्य सरकार की सहमति के लिए भेजा गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि राजेश्वर प्रसाद सिंह नामक एक कर्मचारी ने राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण, लखनऊ के समक्ष दावा याचिका संख्या 381 वर्ष 1998 दायर की थी, और उसके बाद न्यायाधिकरण ने दिनांक 15.05.1999 के आदेश द्वारा राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण, लखनऊ द्वारा जारी निर्देश से असंतुष्ट होकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा और अन्य ने दीवानी विविध रिट याचिका संख्या 8832 वर्ष 2000 दायर की थी, जिसे इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 22.07.2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 22.07.2004 को पारित आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 538 वर्ष 2007 (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा और अन्य बनाम राजेश्वर प्रसाद सिंघल और अन्य) के माध्यम से चुनौती दी गई थी। उक्त सिविल अपील दिनांक 10.03.2011 के आदेश द्वारा चूक के कारण खारिज कर दी गई थी।

इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मामले के समान तथ्यों और परिस्थितियों में समकक्ष पीठ ने सिविल विविध रिट याचिका संख्या 8832 वर्ष 2000 में पहले ही विवाद का निपटारा कर दिया है और उसी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 538 वर्ष 2007 (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा और अन्य बनाम राजेश्वर प्रसाद सिंघल और अन्य) दायर करके चुनौती दी गई है। उक्त सिविल अपील को भी दिनांक 10.03.2011 के आदेश द्वारा चूक के कारण खारिज कर दिया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता भी अवकाश नकदीकरण का हकदार है और याचिकाकर्ता को यह लाभ न देने में कोई अन्य बाधा नहीं है।

अभिलेख से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2011 को पारित आदेश को पहले ही अभिलेख पर प्रस्तुत कर दिया है, जिसके द्वारा आगरा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दायर एस.एल.पी. को चूक के कारण खारिज कर दिया गया था, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादियों ने ऐसा कुछ भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिनांक 10.03.2011 के आदेश को वापस ले लिया गया था।

अतः, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को देय अवकाश नकदीकरण राशि की गणना करें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर उसका भुगतान करें।

10. फूल चंद्र मिश्रा (उपरोक्त) में निम्नलिखित अवलोकन किया गया:

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की ओर से श्री पी.डी. त्रिपाठी की बात सुनी गई।

इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की मांग की है:-



"i. याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से ब्याज सहित अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

ii. न्याय के हित में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित और उपयुक्त समझे जाने वाले रिट आदेश या निर्देश जारी किए जाएं।

iii. याचिकाकर्ता को याचिका की लागत प्रदान की जाए।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को प्रारंभ में 28.4.1979 और 12.2.1974 को यूपी बेसिक शिक्षा परिषद में जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था और वे क्रमशः 30.6.2014 और 31.7.2014 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ मिल रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, कर्मचारी संघ ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी और बेसिक शिक्षा निदेशक/उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को 24.02.2006 को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे राज्य सरकार की सहमति के लिए भेजा गया था।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि राजेश्वर प्रसाद सिंह नामक एक कर्मचारी ने राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण, लखनऊ के समक्ष दावा याचिका संख्या 381 वर्ष 1998 दायर की थी, और उसके बाद न्यायाधिकरण ने दिनांक 15.05.1999 के आदेश द्वारा राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया था। उन्होंने आगे बताया कि राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण, लखनऊ द्वारा जारी निर्देश से असंतुष्ट होकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा और अन्य ने दीवानी विविध रिट याचिका संख्या 8832 वर्ष 2000 दायर की थी, जिसे इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 22.07.2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 22.07.2004 को पारित आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 538 वर्ष 2007 (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा और अन्य बनाम राजेश्वर प्रसाद सिंघल



और अन्य) के माध्यम से चुनौती दी गई थी। उक्त सिविल अपील दिनांक 10.03.2011 के आदेश द्वारा चूक के कारण खारिज कर दी गई थी।

इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि समान स्थिति में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, खंडपीठ ने सिविल विविध रिट याचिका संख्या 8832 वर्ष 2000 में पहले ही विवाद का निपटारा कर दिया है और उसी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 538 वर्ष 2007 (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा और अन्य बनाम राजेश्वर प्रसाद सिंघल और अन्य) के माध्यम से चुनौती दी गई है। उक्त सिविल अपील को भी दिनांक 10.03.2011 के आदेश द्वारा चूक के कारण खारिज कर दिया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता भी अवकाश नकदीकरण के हकदार हैं और याचिकाकर्ताओं को यह लाभ न देने में कोई अन्य बाधा नहीं है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2011 को पारित आदेश को पहले ही अभिलेख पर प्रस्तुत कर दिया है, जिसके द्वारा आगरा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दायर एस.एल.पी. को चूक के कारण खारिज कर दिया गया था, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादियों ने ऐसा कुछ भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिनांक 10.03.2011 के आदेश को वापस ले लिया गया था।

अतः, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को देय अवकाश नकदीकरण राशि की गणना करें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर उसका भुगतान करें।”

11. इसी के विरुद्ध अंतर-न्यायालयी अपील दिनांक 09.08.2016 को खारिज कर दी गई, अर्थात् विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 497 वर्ष 2016, जिसका आदेश नीचे उद्धृत है:

“अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री क्यू.एच. सिद्दीकी, जिनकी सहायता विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री भानु प्रताप सिंह कर रहे थे, और प्रतिवादियों की ओर से श्री विद्या भूषण शुक्ला की दलीलें सुनीं।”

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस अंतर-न्यायालयी अपील में उठाए गए मुद्दे न्यायालय की खंडपीठ द्वारा विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 25 वर्ष 2016 (यूपी बेसिक शिक्षा परिषद और 4 अन्य बनाम धर्णीधर दुबे) में दिए गए निर्णय के आलोक में समाप्त हो चुके हैं। बेसिक शिक्षा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों के लिए अवकाश नकदीकरण सुविधा की पात्रता के मुद्दे पर विचार करते हुए, खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

हमारी राय में, न तो परिषद का 2 दिसंबर 1994 का परिपत्र और न ही राज्य सरकार का 5 मई 1992 का पत्र धारा 9 के अर्थ में नियम श्रेणी में आता है। अधिनियम की धारा 9 विशेष रूप से स्थानांतरित कर्मचारियों के कार्यकाल, पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तों और नियमों की रक्षा करती है, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। 1981 के नियमों की चुप्पी को उस अधिकार में परिवर्तन के रूप में नहीं माना जा सकता जो नियुक्त तिथि पर कर्मचारियों के बेसिक शिक्षा परिषद में स्थानांतरण से पहले अवकाश नकदीकरण के लिए मौजूद था। वास्तव में, अभिलेख में 24 फरवरी 2006 को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में विशेष सचिव को दिया गया एक विशिष्ट अभ्यावेदन भी दर्ज है, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि पूर्व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा उपलब्ध थी। इसके बाद 29 मई 2006 को बेसिक शिक्षा निदेशक द्वारा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव को एक और पत्र भेजा गया, जिसमें एक बार फिर इसी स्थिति को दोहराया गया। सवाल यह है कि क्या स्थानांतरित कर्मचारियों के मामले में अधिनियम की धारा 9 द्वारा संरक्षित अवकाश नकदीकरण के अधिकार में किसी नियम द्वारा कोई परिवर्तन किया गया है। इसका उत्तर निश्चित रूप से 'नहीं' है।

राज्य सरकार इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई नियम प्रस्तुत नहीं कर पाई है जिससे पात्रता में कोई परिवर्तन होता हो। राज्य सरकार का 5 मई 1992 का पत्र और बोर्ड का 2 दिसंबर 1994 का परिपत्र धारा 9 के अंतर्गत नियम नहीं माना जा सकता। अतः, हमें इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि नियमों की चुप्पी से स्थानांतरित कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन हुआ है।

उपरोक्त कारणों से, यह विशेष अपील खारिज की जाती है।”

12. अंततः, एस.एल.पी. को 15.03.2024 को अस्वीकार कर दिया गया, जिसका आदेश नीचे दिया गया है:

हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

यदि कोई आवेदन लंबित है, तो उसे निपटा दिया जाएगा।



13. तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 4 - जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जालौन द्वारा दिनांक 14.12.2025 को पारित आदेश रद्द किया जाता है। मामले को संबंधित प्राधिकरण को दो माह की अवधि के भीतर नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाता है।

14. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

9 जनवरी, 2026

राजेश